

प्रेस नोट दिनांक – 27.05.2021

इटावा पुलिस द्वारा थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 16/17.05.2021 की रात्रि को महिला की गोली मारकर हत्या करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को हत्या में प्रयुक्त तमंचा सहित किया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर इटावा के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 16/17.05.2021 की रात्रि को महिला की गोली मारकर हत्या करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को हत्या में प्रयुक्त तमंचा सहित किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16-05-2021 की रात्रि को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत डायल-112 के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नगला पीर में एक खरबूजे के खेत में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पुलिस, फॉरेंसिंग टीम तथा सर्विलांस टीम को मौके पर रवाना किया गया। पुलिस टीमों द्वारा महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया एवं वादी मृतका के पति की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मुकदमा अपराध संख्या 155/21 धारा 302 भादवी अभियोग पंजीकृत किया गया है। तत्पश्चात स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० श्री बृजेश कुमार सिंह एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं जांच हेतु गठित की गई टीमों को घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। महिला की हत्या की घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए ताबडतोड दबिश दी जा रही थी।

आज दिनांक 27.05.2021 को थाना सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि मु०अ०स० 155/21 से संबंधित अभियुक्त गुप्त आलू फार्म के खाली खेतों में झाडियों में बैठे है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये गए स्थान पर पहुची तो मुखबिर द्वारा इशारा कर बताया कि इन्ही दो व्यक्तियों द्वारा महिला की हत्या की गयी थी। पुलिस को अपनी ओर आता देख कर झाडियों में बैठे उन दो व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया जिन्हे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर घेरबन्दी करते हुए रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से नामपता पूछने पर अभियुक्तों द्वारा अपना नाम क्रमशः श्रीकृष्ण पुत्र पूरनलाल निवासी नगला पीर थाना सिविल लाइन व दूसरे अभियुक्त द्वारा अपना नाम श्रीपाल पुत्र पूरनसिंह निवासी नगला पीर थाना सिविल लाइन बताया गया। पुलिस टीम द्वारा कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोगो

द्वारा दिनांक 16.05.2021 की रात्रि को अपने चचेरे भाई की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

पुलिस पूछताछ-

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों बताया कि सुधा (मृतका) हमारे चचेरे भाई रामनिवास की पत्नी थी हमारा चचेरा भाई मृतका का पति सीधा एवं सरल स्वभाव का व्यक्ति है। इसी का फायदा लेकर हम दोनो भाई उसकी संपत्ति को हडपना चाहते थे जिसका पता मृतक सुधा को चल गया इसी चलते उसे अपने रास्ते से हटाने हेतु हम दोनो द्वारा दिनांक 16.05.2021 को योजनाबद्ध तरीके से सुधा को उसके खेत में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा खरबूज के खेत में खरबूजों की चोरी की बताकर उसे खेत में बुलाया गया तथा उसकी तमंचा से गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटनास्थल के करीब एक ट्यूबेल पास सहतूस के पेड के पास से हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व 03 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस को बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. श्रीकृष्ण पुत्र पूनलाल निवासी नगला पीर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
2. श्रीपाल पुत्र पूनसिंह निवासी नगला पीर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 155/21 धारा 302 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
2. मु0अ0स0 167/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. 01 तमंचा 315 बोर (हत्या में प्रयुक्त)
2. 03 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 01 खोखा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम- श्री अमान थानाध्यक्ष सिविल लाइन, उ0नि0 श्री करनवीर सिंह, उ0नि0 बृजेश कुमार, का0 अजीत कुमार, का0 शुभम कुमार, का0 चा0 शैलेन्द्र सिंह

सोशल मीडिया सेल
जनपद इटावा